



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2011/चैत्र 2, 1933

No. 501]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2011/CHAITRA 2, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2011

का.आ. 616(अ).—जबकि संख्या का.आ. 148(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों को उस अधिसूचना की तारीख से एक महीने के बाद उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों की कतिपय श्रेणियों पर विस्तारित करने के आशय की सूचना दी थी :

तथा जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ 24 नवम्बर, 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

तथा जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में एक महीने की उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

इसलिए, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से, एतद्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को 1 अप्रैल, 2011 से इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट तथा कालम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित स्थापनों की श्रेणी पर विस्तारित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स्थापनों का विवरण	क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित है
(1)	(2)
निम्नलिखित स्थापन जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे, अर्थात् :—	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी क्षेत्र जहां अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध पहले ही लागू किए जा चुके हैं ।
(i) दुकानें;	
(ii) होटल;	
(iii) रेस्तरां;	
(iv) सड़क मोटर परिवहन स्थापन;	
(v) पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सिनेमा;	
(vi) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित समाचार स्थापन;	

(1)

- (vii) वैयक्तिक, न्यास, सोसाइटी अथवा अन्य संगठन द्वारा चलाए जाने वाले (सार्वजनिक, निजी, सहायता-प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता-प्राप्त सहित) शैक्षिक संस्थान;
- (viii) चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक केन्द्र, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित)

[सं. एस-38025/23/2010-एस.एस. 1]

रवि माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2011

S.O. 616(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 148(E), dated the 29th November, 2010, the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th day of November, 2010;

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby extends with effect from the 1st day of April, 2011, the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in column (1) and situated within the areas specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, namely:—

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
(1)	(2)
The following establishments wherein ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months, namely:—	All areas in the National Capital Territory of Delhi where provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 have already been brought into force under sub-section (3) of Section 1 of the Act.
(i) shops;	
(ii) hotels;	
(iii) restaurants;	
(iv) road motor transport establishments;	
(v) cinemas including preview theatres;	
(vi) newspaper establishments as defined in clause (d) of Section 2 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);	
(vii) educational institutions (including public, private, aided or partially aided) run by an individual, trust, society or other organisation;	
(viii) medical institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic centres, pathological labs).	

[No. S-38025/23/2010-SS. 1]

RAVI MATHUR, Addl., Secy.